संख्या:– 2855 / III(2) / 11–39(सा0)/2011

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 06 जुलाई, 2011

विषय:– जनपद पौड़ी गढ़वाल में नौलापुर–खेतु–केदारगली–कोगागाड–घोड़ियाना–बीरोंखाल मोटर मार्ग के नवनिर्माण के प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता गढ़0 लोक निर्माण विभाग पौड़ी द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल में नौलापुर–खेतु–केदारगली–कोगागाड–घोड़ियाना–बीरोंखाल मोटर मार्ग के नवनिर्माण, लम्बाई 10.00 किमी0 तथा लागत ₹ 126.00 लाख हेतु प्रथम चरण के कार्यों के लिये उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणन, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 126.00 लाख (₹ एक करोड़ छब्बीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में ₹ 0.25 लाख (₹ पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय करने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:– 1764 / III(2) / 10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों की जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरे मद में व्यय कदापि न किया जाय। वास्तविक व्यय आधार पर यदि कोई धनराशि स्वीकृत लागत के सापेक्ष बचती है तो उसे यथासमय समर्पित कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0
बैजरो (गढ़वाल)

(vi) स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उसके विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। बजट मैनुअल के निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0– 2047 / xiv–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10)

(14)

–2–

(viii) स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अभियन्ता का होगा।

(ix) वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च तक सुनिश्चित किया जायेगा।

(x) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में लोक निर्माण विभाग के सं0–22 –लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य –आयोजनागत –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर– 02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य डाला जायेगा।

(xi) यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 206 / XXVII/(2)/2011 दि0: 05 जुलाई, 20.. में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्या–2855 /III(2)/11–39(आ0आ0)/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी जनपद पौड़ी गढ़वाल।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून / पौड़ी गढ़वाल।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2 / वित्त नियोजन प्रकोष्ठ / राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, 12वाँ वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी।
9. लोक निर्माण अनुभाग–1 / 3 उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड बुक।

1364
23/08/2011

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0
बैजरो (गढ़वाल)

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

पृ0 सं0–1840 / 01 बजट–सं0/11, दिनांक–5/8/11

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) अधीक्षण अभियन्ता, 12 वां वृत्त, लो0नि0वि0 पौड़ी।
(2) सहायक अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, पौड़ी।
(3) प्रशासनिक अधिकारी, (भाग अधि0) क्षेत्रीय कार्यालय लो0नि0वि0 पौड़ी।

Photo copy Attested
AE
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0
बैजरो (गढ़वाल)

6.8.11

मुख्य अभियन्ता (ग0क्षे0)
लो0 नि0 वि0 पौड़ी गढ़वाल

–105–